

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेनि तिथि
1	श्री.महेन्द्र कुमार शर्मा, लै.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)	02.08.1959	31.08 2019
2	श्री चन्द्र शेखर शर्मा, डेंटल टेक्नी.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय रूकमणी देवी प्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर	02.12.1959	31.12 2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

- Sd-

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 21/6/19

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/387

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर/जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय रूकमणी देवी प्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीओं के विरुद्ध यदि आडिट पेश या अन्य कोई चरुती बकाया हो तो उसकी जसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर